



वशिेष : जीवन का आधार बन चुके 'आधार कार्ड' के लिये अब वरचुअल आईडी

संदर्भ और पृष्ठभूमि

कुछ दिनों पहले (5 जनवरी) इसी मंच पर हमने आधार डेटा की सुरक्षा का मुद्दा तब उठाया था, जब एक अंग्रेज़ी अखबार के पत्रकार ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया था, जो आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था। इससे पहले भी आधार डेटा की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग चुके हैं और नजिता के मुद्दे को लेकर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 17 जनवरी से होने वाली है। आधार डेटा की सुरक्षा के लिये अब यूआडीएआई ने वरचुअल (आभासी) आईडी जारी करने का फैसला किया है, जो वैकल्पिक होगी।

क्या है नई सुरक्षा व्यवस्था?

- सरकार के आधार कार्यक्रम को चलाने वाला भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआडीएआई) आधार डेटा की सुरक्षा के लिये जल्द ही वरचुअल आधार आईडी लाने वाला है।
- इसमें 16 अंकों के अस्थायी नंबर होंगे, जैसा लोग जब चाहे अपने आधार के बदले शेयर कर सकेंगे।
- आधार डेटा की सुरक्षा के लिये वरचुअल आईडी अनिवार्य नहीं होगी, लोगों के पास विकल्प होगा किया तो वे वरचुअल आईडी का इस्तेमाल करें या फिर आधार नंबर का।
- इस नई व्यवस्था में आधार डेटिल देने या वेरिफिकेशन के समय इसी 16 अंकों से काम चल जाएगा।

डेटाबेस तक आसान पहुँच: अब तक जो देखने में आता रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि बार-बार डेटा की सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालों के पीछे वस्तुतः समस्या यह है कि आधार कार्ड के बनाए जाने से लेकर वितरण तक में बड़े पैमाने पर नजिी एजेंसियों के अलावा कई अधिकृत और अनधिकृत एजेंसियाँ शामिल रहती हैं। किसी व्यक्ति को आधार कार्ड में परिवर्तन कराना हो तो यह काम गली-मोहल्लो में बनी हुई दुकानों में आसानी से हो जाता है।

आधार की अनिवार्यता: आधार से जुड़े मामलों में नजिता के अधिकार का सवाल भी शामिल है और सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर नजिता के अधिकार के पक्ष में फैसला सुना चुका है। आज व्यावहारिक स्थिति यह है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिये आधार अनिवार्य है और इसके बिना लोगों का कोई काम हो पाना लगभग असंभव हो चुका है। आधार कार्ड की गोपनीयता भंग होने और नजिी जानकारी गलत हाथों में जाने की आशंकाएँ इस परियोजना की शुरुआत से ही जताई जाती रही हैं। इसके जवाब में सरकार बराबर सुरक्षा का आश्वासन देती रही और इसकी अनिवार्यता का दावा बढ़ाती रही। आज शक्ति, रोज़गार, स्वास्थ्य, कारोबार हर जगह आधार कार्ड को ज़रूरी बना दिया गया है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- 16 रैंडम अंकों की इस वरचुअल आईडी की उपयोगिता एक निश्चित अवधि के लिये ही होगी और इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ज़रूरत पड़ने पर फिर से नई वरचुअल आईडी निकालनी होगी।
- इस वरचुअल आईडी से फोन कंपनियों या बैंकों को आधार धारक का नाम, पता और फोटोग्राफ जैसी सीमित जानकारी (लमिटेड केवाईसी) ही मिलेगी, जो उस व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिये पर्याप्त होगी।
- 16 अंकों की यह अस्थायी आईडी आधार नंबर से बनेगी, लेकिन इससे किसी का आधार नंबर नहीं निकाला जा सकेगा।
- इस वरचुअल आईडी का आखिरी नंबर आधार संख्या के मुताबिक होगा।
- वरचुअल आईडी की नकल नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इसे केवल आधार कार्ड धारक ही हासिल कर सकेगा।
- तकनीकी सुरक्षा का यह स्तर बढ़ जाने से नजिता के उल्लंघन का संदेह करने वालों के अलावा बैंक खाते को लेकर चिंति लोगों की परेशानी कुछ कम हो जाएगी।
- इसके अलावा आधार डेटाबेस तक अधिकारियों की पहुँच को भी सीमित कर दिया गया है। आधार को उपयोग करने का अधिकार रखने वाले लगभग पाँच हज़ार अधिकारी अब इस डेटाबेस की जानकारी नहीं हासिल कर पाएँगे।

शिकायत दर्ज कराने की समुचित व्यवस्था नहीं: आधार अधिनियम, 2016 की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि किसी नागरिक के नजिी डेटा में संध लगती है या किसी अन्य कारण से उसकी नजिता भंग होती है, तो उसके पास शिकायत दर्ज कराने तक का अधिकार नहीं है। वे यूआडीएआई को अपनी शिकायत भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार केवल उसी के पास है। ऐसे में किसी संकट के समय लोग खुद को बेबस महसूस कर सकते हैं, वशिषकर उस समाज व व्यवस्था में, जिसके लिये नजिता व डजिटल सुरक्षा की समझ लगभग शून्य है। इसलिये ज़रूरी है कि आधार से जुड़ा

एक एथकिस्सैयार हो। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें **क्या होना** है से ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि **क्या नहीं होना** चाहिये।

(टीम दृष्टाइनपुट)

- इस वरचुअल आईडी से आधार नंबर की जानकारी नहीं मलि सकेगी और कोई भी आधार कार्ड धारक प्राधकिरण की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर अपनी वरचुअल आईडी नकाल सकेगा।
- कंप्यूटर से बना 16 अंकों का तत्काल जारी होने वाला यह नंबर 1 मार्च, 2018 से जेनरेट कयिा जा सकेगा।
- सत्यापन के लयिे 'आधार' का इस्तेमाल करने वाली सभी एजेंसयिों के लयिे इस वरचुअल आईडी को स्वीकृत करना 1 जून, 2018 से अनविर्य हो जाएगा।
- यूआईडीएआई इसके लयिे 1 मार्च, 2018 तक सॉफ्टवेयर जारी कर देगा और 28 मार्च तक नया ससि्टम अपनाना अनविर्य होगा।
- इस नई सुरकषा प्रणाली का उद्देश्य आधार डेटा के लीक होने और दुरुपयोग के मामलों को कम करना और 119 करोड़ लोगों की पहचान संख्या की गोपनीयता को बढ़ावा देना है।
- सुरकषा का स्तर बढ़ाने का एक तात्पर्य यह भी है कि यूआईडीएआई ने भी इससे जुड़ी आशंकाओं को भांप लयिा है, जो अभी तक ऐसी कसिी भी आशंका को गलत ठहराती थी।

रज़िरव बैंक ने भी जताई थी चतिा

- देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही एक रसिरच नोट में 'आधार' को लेकर गंभीर चतिाएं जाहरी की थीं, जनिमें आधार डेटा की चोरी को रोकना आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। इस नोट में सबसे बड़ी चतिा आधार डेटा के संभावति व्यवसायकि दुरुपयोग और इसके आसानी से लीक होने की बताई गई।

आधार की पूरी व्यवस्था डजिटिल युग की आधुनकि सोच पर आधारति है और इस नई व आधुनकि व्यवस्था से सरकार ने बहुत से जनसरोकारों को नत्थी तो कर दयिा है, लेकिन यद अन्य व्यवस्थाओं को इसके साथ भली-भांति जोड़ा नहीं गया तो यह असंतुलन कई कठनिाड्यौ खड़ी कर सकता है।

Aadhaar: Myth Vs Fact शीर्षक लेख

इसके अलावा यूआईडीएआई पोर्टल पर Aadhaar: Myth Vs Fact शीर्षक से एक लेख भी प्रकाशति कयिा गया है, जसिमें कहा गया है कि आधार में डेटाबेस को लेकर लापरवाही की बात में कोई भी सत्यता नहीं है। आधार पंजीकरण रजसि्टरार के ज़रयिे हुआ है और यह राज्य सरकार, बैंकों और कॉमन सर्वसि सेंटर की तरह एक वशि्वसनीय संस्थान है। आधार नामांकन के दौरान लयिा जाने वाला डेटा एनकरपिटेड होता है और इसे यूआईडीएआई सर्वर के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। आधार अधनियम के अनुसार कोई एजेंसी कसिी व्यक्तीका आधार के ज़रयिे पीछा नहीं कर सकती है और ऐसा करना अपराध माना गया है।

(टीम दृष्टाइनपुट)

यूआईडीएआई का पक्ष?

यूआईडीएआई बार-बार कहता रहा है कि आधार डेटा पूरी तरह से सुरकषति है और उसकी तरफ से कोई डेटा सार्वजनकि रूप से प्रकट नहीं कयिा गया है और न ही कसिी तरह का उल्लंघन हुआ है। कुछ सरकारी और संस्थागत वेबसाइटों पर जसि आधार डेटा के मलिने की बात बार-बार सामने आती है, वह आरटीआई अधनियम के अंतर्गत दी गई जानकारी के रूप में दयिा जाता है। इसमें लाभार्थी का नाम, पता, बैंक खाता और आधार नंबर सहति अन्य ब्यौरे वभिनिन कल्याणकारी योजनाओं के लयिे तीसरे पक्ष/यूजर से एकत्रति कयिे जाते हैं। एकत्रति जानकारी आरटीआई अधनियम के अंतर्गत सार्वजनकि रूप से प्रकट की जाती है और यूआईडीएआई के डेटा बेस या सर्वर से कोई आधार डेटा लीक नहीं होता। अब यूआईडीएआई ने इस पर भी रोक लगा दी है तथा भवष्य में ऐसा नहीं करने का नरिदेश दयिा है।

यूआईडीएआई के अनुसार, आधार सुरकषा प्रणाली श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और आधार डेटा पूरी तरह से सुरकषति है। यूआईडीएआई की ओर से आधार डेटा का उल्लंघन और लीक नहीं हुआ है। इन वेबसाइटों पर सार्वजनकि कयिे गए आधार नंबरों से लोगों को कसिी तरह का खतरा नहीं है क्यौंकि बायोमेट्रकि सूचना कभी भी साझा नहीं की जा सकती और यह यूआईडीएआई में सर्वोच्च इंकरपिशन के साथ सुरकषति है। बायोमेट्रकि के बनिा जनसांख्यिकी सूचना का दुरुपयोग नहीं कयिा जा सकता।

यूआईडीएआई कह चुका है कि आधार संख्या कोई गोपनीय नंबर नहीं है। यदिकोई आधार धारक सरकारी कल्याण योजनाओं या अन्य सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे प्राधकिृत एजेंसयिों के साथ आधार नंबर साझा करना होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आधार नंबर के उचति इस्तेमाल से सुरकषति या वत्तितीय सुरकषा को खतरा है। यह भी धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, क्यौंकि सफल प्रमाणीकरण के लयिे व्यक्तीके उँगलियिों के नशान (Finger Prints) और आँख की पुतली (Iris) की भी आवश्यकता होती है। सभी तरह का प्रमाणीकरण सेवा प्रदाताओं के कर्मयिों की मौजूदगी में कयिा जाता है।

डेटा सुरकषा पर कानून का अभाव

पुख्ता वधियी संरचना के अभाव में भारत में डेटा सुरकषा को लेकर वभिनिन प्रकार की चतिाएँ सामने आती रहती हैं। तेज़ी से डजिटिल हो रही इस दुनयिा में वशि्वभर में डजिटिल सूचनाओं की सुरकषा और संप्रभुता को लेकर आशंकाएँ हैं। साइबर और डजिटिल अपराध आज भूमंडलीय स्तर पर सक्रयि हैं और कोई ऐसी सुरकषा दीवार या भौगोलकि सीमा नहीं है जो कसिी देश को ऐसे अपराधों से बचाए रख सके। आधार भी इसी डजिटिल दुनयिा का एक हसिा है और यह भी उल्लेखनीय है कि पूरी दुनयिा में आउटसोर्स डेटा की सबसे अधिक प्रोसेसिंग भारत में होती है, ऐसे में साइबर अपराधों से बचाव के लयिे प्रभावी व्यवस्था का होना अनविर्य है।

(टीम दृष्टाइनपुट)

बायोमेट्रिक लॉक की सुविधा

यूआईडीएआई लोक भागीदारी वाली सुरक्षा प्रणाली है और इसके तहत यूआईडीएआई पोर्टल पर बायोमेट्रिक लॉक सुविधा उपलब्ध है। आधार कार्ड धारक यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने बायोमेट्रिक डेटा पर लॉक सुविधा का उपयोग कर सकता है। इसके तहत आधार की जानकारी लीक होने या किसी अन्य व्यक्तिको आपकी आधार संख्या की जानकारी का गलत फायदा उठाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से जब चाहे आधार जानकारी को लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। एक बार बायोमेट्रिक डेटा लॉक करने के बाद कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे अनलॉक न किया जाए। यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिये आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।

डेटा लॉक

- यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट <https://uidai.gov.in/> पर जाएँ।
- आधार ऑनलाइन सर्विस में तीन विकल्प दिखाई देते हैं और इनमें सबसे आखिरी Aadhaar Service में तीसरे नंबर पर Lock/Unlock Biometrics का विकल्प है।
- इस पर क्लिक करें, अब एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आधार संख्या और एक सक्रियिटी कोड डालना होगा।
- इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा।
- इस ओटीपी को डालकर लॉग-इन करें और डेटा लॉक करने के लिये फरि से सक्रियिटी कोड डालकर Enable पर क्लिक करें।
- यहाँ क्लिक करते ही Congratulation! Your Biometrics is Locked का संदेश मलिंगा और आपका आधार डेटा लॉक हो जाएगा।

डेटा अनलॉक

- डेटा अनलॉक करने के लिये उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए लॉग-इन करें।
- Enable और Disable के दो ऑप्शन मलिंगे। सक्रियिटी कोड डालकर Enable पर क्लिक करते ही डेटा अनलॉक हो जाएगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नषिकरष: पछिले काफी समय से आधार संख्या से जुड़े ब्योरे के असुरकषति होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं तथा आधार की अनविश्यता और सुरकषा के मसले पर दायर मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। आधार नंबर जारी करने वाली एजेंसी यूआईडीएआई ने अपनी व्यवस्था में सुरकषा की उपरोक्त कड़ियाँ और जोड़ दी हैं। पछिले काफी समय से आधार से जुड़ी असुरकषा और इसके जरयि होने वाली गड़बड़यियों को लेकर उठने वाले सवालों से नपिटने के लिये प्राधकिरण ने यह व्यवस्था की है। अब यह देखना होगा कि वर्चुअल आईडी की व्यवस्था सामने आने के बाद 'आधार' के सुरकषति होने को लेकर लोगों की आशंकाएँ दूर होती हैं या नहीं। इसके अलावा नजिता और सुरकषा के साथ-साथ पहचान-पत्र के रूप में आधार नंबर की व्यवस्था से जुड़ी कई शंकाओं का संतोषजनक समाधान नकिलना अभी बाकी है। देश में अब भी डेटा सुरकषा कानून या नजिता सुरकषा के लिये कोई नयिम नहीं है, इन चतिओं पर गंभीरता से वचिार करने की जरूरत है।